



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062020-220005
CG-DL-E-19062020-220005

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1709]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2020/ज्येष्ठ 28, 1942

No. 1709]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2020/JYAISHTHA 28, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2020

का.आ. 1925(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में NH347A के कि.मी. 59.9 से कि.मी.73.6 (तहसीलदार ऑफिस आर्वी) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "03.02.2020" को "लोकमत टाइम्स" और "दैनिक जन-संग्राम" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में NH347A के कि.मी. 59.9 से कि.मी.73.6 (तहसीलदार ऑफिस आर्वी) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: वर्धा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: आर्वी				
	गांव का नाम: दौतपुर				
1	93	निजी	नॉन अग्रीकलचर	0.01	विकासचंद विज्ञानचंद जैन, सुभाषचंद विज्ञानचंद जैन (९३)
	तालुक का नाम: आष्टी				
	गांव का नाम: काकडदारा				
1	62	सरकारी	नॉनअग्रीकलचर	0.0025	महाराष्ट्र राज्यपरिवहन महामंडळ सब डेपो तळेगाव हेड ऑफिस अमरावती (६२)
	गांव का नाम: नविन रामदरा				
2	11	सरकारी	अग्रीकलचर	0.004	महाराष्ट्र सरकार (११)
			कुल	0.0165	

[फा. सं. RW/NH-12014/49/2017-MAH-P6/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2020

S.O. 1925(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH347A on the stretch of land from Km 59.9 to Km 73.6 (Tahsildar Office Arvi) in the district of WARDHA in the State of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Lokmat Times” and “Dainik Jan-Sangram” both dated 03.02.2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH347A in the stretch of land from Km 59.9 to Km 73.6 (Tahsildar Office Arvi) in the district of WARDHA in the State of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: WARDHA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Arvi				
	Village: Dautpur				
1	93	Private	Non Agriculture	0.01	Vikaschand Vidynanchand Jain, Subhashchand Vidynanchand Jain 93
	Taluk: Ashti				
	Village: Kakaddara				
1	62	Government	Non Agriculture	0.0025	Sub Department of Maharashtra State Transport Corporation Talegaon Head Office Amravati 62
	Village: Navin Ramdara				
2	11	Government	Agriculture	0.004	Government of Maharashtra 11
			TOTAL	0.0165	

[F. No. RW/NH-12014/49/2017-MAH-P6/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.